

सीएसआईआर- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
CSIR – Central Electronics Engineering Research Institute
पिलानी (राजस्थान)/Pilani (Rajasthan) 333031

सं. No.: 35/1/2020-राभा

दिनांक/Dated : 27.03.2025

कार्यालय आदेश / Office Order

संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन को गति प्रदान करने तथा राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, संस्थान के सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी एवं भागीदारी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में संस्थान के अधिकारियों को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए जांच बिंदु (उत्तरदायी अधिकारी) के रूप में निम्नानुसार नियत किया जाता है:


To expedite the implementation of Official Language in the Institute and to achieve the targets/goals mentioned in the Annual Programme issued every year by the Deptt. of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India, it is necessary to ensure the accountability and involvement of all the officers towards this cause. In view of the above the following officers are designated as check points (Responsible Officers) for Official Language Implementation in the Institute as under:

क्र.सं.	उत्तरदायित्व/Responsibility	उत्तरदायी अधिकारी/Responsible Officer
1	हिंदी में पत्राचार Correspondence in Hindi	पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी Officer who signs the letter
2	पत्रों के लिफाफों पर हिंदी में पता Address in Hindi on envelopes of letters	संबंधित अधिकारी / प्रेषण अनुभाग (सा.) Concerned Officer / Despatch Section
3	धारा 3(3) के कागजात (द्विभाषी) Document under section 3(3) (Bilingual)	जारीकर्ता अधिकारी Concerned Officer who issues the document
4	कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों की खरीद (द्विभाषी) Purchase of Computer/Equipments (Bilingual)	भंडार एवं क्रय अधिकारी Stores and Purchase Officer
5	फार्मों/रजिस्ट्रों/अन्य स्टेशनरी का मुद्रण (द्विभाषी) Printing of Forms/Registers/Stationery etc.	भंडार एवं क्रय अधिकारी Stores and Purchase Officer
6	रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ(हिंदी/द्विभाषी) Entries in Registers	संबंधित प्रभागध्यक्ष एवं अनुभाग अधिकारी(सा.) Concerned HOD/ Section Officer
7	मुहर/सील/विजिटिंग कार्ड आदि (द्विभाषी) Stamp/Seal/Visiting Cards etc. (Bilingual)	उपयोगकर्ता / संबंधित अधिकारी User / Concerned Officer
8	हिंदी पुस्तकों की खरीद / Purchase of Hindi books	प्रभारी, ज्ञान संसाधन केंद्र / In charge, KRC
9	संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन (द्विभाषी) Annual Report of the Institute (Bilingual)	प्रभारी, ज्ञान संसाधन केंद्र / In charge, KRC
10	साइन बोर्ड/ नाम पट्टिकाएं(द्विभाषी) Sign Boards/ Name Plates (Bilingual)	संबंधित अधिकारी/ प्रभारी, सिविल अनुभाग Concerned Officer/In-charge, Civil Section

11	समारोह के निमंत्रण पत्र/बैनर आदि (हिंदी/द्विभाषी) Invitation Card/ Banner of Functions (Hindi/Bilingual)	कार्यक्रम / समारोह का संयोजक अधिकारी Convener of the Function
12	सभी उच्चस्तरीय बैठकों की कार्यसूची/कार्यवृत्त Agenda/Proceedings of the High level meetings	बैठक का संयोजक अधिकारी Convener of the Meeting
13	सभी विज्ञापन एवं टेंडर नोटिस (द्विभाषी) All Advertisements/ Tender Notices (Bilingual)	प्रशासन नियंत्रक / प्रशासनिक अधिकारी / प्रभारी, ईएमई/सिविल / संबंधित अधिकारी CoA/AO / Head, EME/Civil / Concerned Officer
14	प्रेस विज्ञप्तियां (द्विभाषी) / Press Release (Bilingual)	संबंधित अधिकारी / Concerned Officer
15	संस्थान की वेबसाइट (द्विभाषी) Website of the Institute (Bilingual)	एनएमसी / NMC

सभी संबंधित अधिकारीगण उपर्युक्तानुसार अपने राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी दायित्वों का निर्वहन कर संस्थान में भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करें।

All the concerned officers ensure the compliance of the Official Language Policy of the Govt. of India in the Institute by discharging their responsibilities as above.


 (डॉ पी सी पंचारिया / Dr PC Panchariya)
 निदेशक / Director

प्रतिलिपि :

1. सभी संबंधित अधिकारी / All the concerned officers
2. प्रभारी, एआईटीजी - का.ज्ञा. संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
In charge, AITG – To upload the OM on the Institute website
3. सूचना पट्ट / Notice board

नोट : राजभाषा नीति के अनुपालन के संदर्भ में 'द्विभाषी' का अर्थ केवल हिंदी तथा अंग्रेजी से है जिसमें समान दिखने वाले आकार/फॉन्ट में हिंदी पाठ अनिवार्य रूप से पहले और अंग्रेजी पाठ बाद में होता है।

In the context of compliance of Official Language Policy, the term 'Bilingual' refers to the use of Hindi and English only, in similar looking size/fonts, where Hindi text must be used first and English text later.